बीज पर उठा विवाद

लेखक- मृणालिनी कोच्चुपिल्लई (म्यूनिख के तकनीकी विश्वविद्यालय में व्याख्याता)
और ग्रेगरी रेडिक (लीड्स विश्वविद्यालय में विज्ञान के इतिहास और दर्शन के प्रोफेसर)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

9 मई, 2019

"भारत अपने कृषि को उच्च उपज वाले आदर्शों से उच्च मूल्य वाले आदर्शों तक कैसे स्थानांतरित कर सकता है।"

जब यह खबर आई कि पेप्सिको भारत में आलू की एक खास किस्म, जिसका उपयोग ये अपने लेज चिप्स में करते हैं, की खेती करने के कारण छोटे किसानों पर मुकदमा कर रही है, तो देश भर से किसानों को सहानुभूति तुरंत मिलने लगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव तेजी से बढ़ने लगा और अंत में पेप्सिको को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा।

हालांकि, यह सत्य है कि कई ऐसे छोटे किसान हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेमालिकाना बीज पर आश्रित हैं। आमतौर पर ये बीज उच्च इनपुट (उर्वरक-कीटनाशक-सिंचाई) वातावरण में उगाए जाते हैं, जो समय के साथ, स्थानीय जैव विविधता को नष्ट कर देते हैं।

प्रतिमान बदलाव का समय आ गया है

कोई भी किसानों को यह सोचने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता है कि मालिकाना बीज बेहतर हैं। हरित क्रांति के दिनों के बाद से, कृषि विस्तार अधिकारियों (कृषि आधुनिकता के क्षेत्र के प्रतिनिधि) ने किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज खरीदने के लिए सिखाया है। इसके विज्ञान और उद्योग के बारे में जानने के लिए, बीज की गुणवत्ता पर थोड़ा-बहुत रुख अपनाते हुए, किसानों और गैर-सरकारी संगठनों के दबाव के चलते, भारत में एक नए बीज कानून पारित करने की असफल कोशिश के बावजूद, केवल प्रमाणित बिक्री की अनुमति मिल रही है।

बीजों में बौद्धिक संपदा अधिकारों को विनियमित करने वाले मौजूदा भारतीय कानून में अर्थात् प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन लॉ, मालिकाना हक के लिए यही आधिकारिक प्राथमिकता एक अलग रूप ले लेती है। यह कानून किसानों को न केवल बीजों को बचा कर रखने और बीजों का उपयोग कई बार करने की अनुमति देता है, बल्कि यह उन्हें अन्य किसानों को बेचने की भी अनुमति देता है। यह व्यापक अनुमति (जिसे किसानों का विशेषाधिकार कहा जाता है) तथाकथित बीज संप्रभुता के लिए अपरिहार्य मानी जाती है, जो किसानों को बीजों को बचाने, बोने, और मालिकाना हक वाले बीजों के कई बार उपयोग करने के लिए अनुमति देने का पर्याय बन गया है।

अब समय प्रतिमान बदलाव का है। इस संदर्भ में क्या किया जाना चाहिए, इसे समझने के लिए हमें हाल ही में यूरोप में किये गये नियामक प्रयासों पर नजर डालने की आवश्यकता है। जैविक उत्पादों के जैविक उत्पादन और लेबलिंग पर यूरोपीय संघ का विनियमन,जिसे 2018 में अपनाया गया था, इसने पहली बार विभिन्न यूरोपीय संघ के कानूनों के तहत कठिन पंजीकरण और प्रमाणन के बावजूद हेटरोजेनस विषम सामग्री के पौधे की जननीय सामग्री का जैविक कृषि और विपणन के लिए उपयोग करने की अनुमति दी थी। वर्तमान मालिकाना बीजों के विपरीत, हेटरोजेनस सामग्री को एक समान या स्थिर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

वास्तव में, यूरोपीय संघ द्वारा बहु-मिलियन-यूरो अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं को अपनाया और वित्त पोषित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इस विविधता को यूरोप में खेती का अधिक अभिन्न अंग बनाना है।

हानि कम से कम करें और अधिकतम लाभ प्राप्त करें

भारत जैसे जैव-विविधता संपन्न राष्ट्र कैसे अपनी कृषि को उच्च उपज वाले आदर्श से उच्च मूल्य वाले आदर्श पर स्थानांतरित

कर सकते हैं, जहाँ पोषण लाभ और किसान कल्याण को अधिकतम करते हुए पर्यावरणीय नुकसान को कम करने का प्रयास भी शामिल है?

पहला, छोटे किसानों को उचित प्रोत्साहन संरचनाओं के साथ शिक्षित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और ऐसे सुधारों पर ध्यान देना चाहिए जिसमें मालिकाना किस्मों के बजाय पारंपरिक/देसी (हेटरोजेनस) बीजों का उपयोग शामिल हो।

दूसरा, एक अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड-रखने की प्रणाली, शायद ब्लॉकचैन या डीएलटी, लाभदायक और मालिकाना के बीच की कड़ी को तोड़ने के लिए आवश्यक है। इस तरह की प्रणाली से भारत और उसके ग्रामीण समुदायों को अपने बीज और उसमें निहित आनुवांशिक संसाधनों का उचित ट्रैक रखने की अनुमति मिलती है। स्मार्ट-कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटी माइक्रोपेमेंट्स के माध्यम से यह भी सुनिश्चित होगा कि दुनिया भर से इन बीजों के उपयोगकर्त्ताओं और खरीददारों में मौद्रिक रिटर्न आए। ये मौद्रिक रिटर्न एक तरफ निरंतर खेती और देशी बीजों के सुधार को प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करेंगे और दूसरी तरफ कृषि और ग्रामीण समुदायों की सतत् वृद्धि सुनिश्चित करेंगे।

तीसरा, भारत की अमूल्य पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करने और इसे कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार सेवाओं का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। बेहतर तकनीकों के आधार पर स्थायी 'उच्च मूल्य' वाली कृषि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

पेप्सिको द्वारा मुकदमा वापस लेने से उन किसानों को राहत मिल सकती है, जो न तो अदालत में अपना बचाव कर सकते थे और न ही मालिकाना बीजों के किस्मों की खेती को छोड़ सकते थे। हालाँकि, समय की मांग यह है कि सरकार और नीति निर्माता टिकाऊ ग्रामीण समाजों को सुरक्षित करने, मृदा के स्वास्थ्य की रक्षा करने और भारतीय किसानों एवं पूरे राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए बीज संप्रभुता को बढ़ावा देने के लिए पहल करे।

GS World टीम...

पेप्सिको और किसानों के बीच विवाद

क्या है मामला?

- हाल ही में बहुराष्ट्रीय कंपनी ने गुजरात के कुछ किसानों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। यह मुकदमा आलू की खास किस्म को उपजाने से लेकर जुड़ा था।
- इस पर कंपनी पौध किस्म संरक्षण तथा कृषक अधिकार कानून, 2001 के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का दावा कर रही थी।
- कंपनी ने इसके लिए 20 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की थी।
- हालांकि, विरोध बढ़ने के बाद पेप्सिको ने मुकदमा वापस लेने की घोषणा कर दी है।
- पेप्सिको का आरोप है कि यह किसान अवैध रूप से आलू की एक ऐसी किस्म (FL-2027) को उगा और बेच रहे थे जिसे पेप्सिको ने रजिस्टर करा रखा है।
- पेप्सिको इंडिया कंपनी ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट , 2001 के तहत FL 2027 किस्म को साल 2012 में पंजीकृत कराया था।

किसानों ने क्या कहा?

- प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट, 2001 के सेक्शन) 39(1) (प्लांट) में साफ तौर से बताया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटी एक्ट लागू होने से पहले किसान बीज को लेकर जो करते आए थे, वो इसके लागू होने के बाद भी कर सकते हैं।
- जैसे अगर किसी किसान ने बीच खरीदा, उसने बोया, फिर फसल से बीज बचाया और इसे एक्स चेंज किया तो यह वो कर सकता है।
- अगर कोई किसी खास किस्म को रजिस्टर करा भी लेता है तो इस देश के किसान उस खास किस्म के बीज को

भी बेच सकते हैं, बशर्ते वो इन बीजों को पैकेज या लेबल करके न बेचें।

बौद्धिक संपदा अधिकार

- बौद्धिक संपदा अधिकार, निजी अधिकार हैं, जो किसी देश की सीमा के भीतर मान्य होते हैं तथा औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा कानूनी कंपनियों को उनकी रचनात्मकता अथवा नवप्रयोग के संरक्षण के लिये दिये जाते हैं।
- बौद्धिक संपदा अधिकार किसी भी प्रकार या आकार की अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार, नवाचार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- इस आधार पर इन अधिकारों को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

1). कॉपीराइट
2). पेटेन्ट
3). ट्रेडमार्क
4). औद्योगिक डिजाइन
5). भौगोलिक संकेतक

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)

- WIPO बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिये एक वैश्विक मंच है। यह संगठन 191 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्तपोषित एजेंसी है।
- इसका उद्देश्य एक संतुलित एवं प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) प्रणाली के विकास हेतु नेतृत्व करना है, जो सभी के लाभ के लिये नवाचार और रचनात्मकता को सक्षम बनाता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- वर्तमान में इसके महानिदेशक फ्रांसिस गुरी हैं।

अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक-2019

- हाल ही में भारत की नवाचार पारिस्थितिकी में सुधार को
- स्वीकार करते हुए, यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स (US Chamber of Commerce) ने वर्ष 2019 के लिये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किये हैं।
- इसमें भारत को 50 देशों में से 36वें स्थान पर रखा गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2018 में भारत 44वें स्थान पर था।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस वर्ष जारी सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का सातवाँ संस्करण है तथा इसका शीर्षक 'इंस्पायरिंग टुमारो' (Inspiring Tomorrow) हैं।
- इस सूचकांक में 50 देशों को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में इस सूचकांक में पाँच नए देशों (अर्थव्यवस्थाओं)- कोस्टारिका, आयरलैंड, जॉर्डन, मोरक्को और नीदरलैंड्स को शामिल किया गया। इससे पहले इस सूचकांक में 45 देश थे।
- भारत 16.22 अंकों के साथ सूचकांक में 36वें स्थान पर है। भारत की स्थिति में यह सुधार भारतीय नीति निर्माताओं द्वारा घरेलू उद्यमियों और विदेशी निवेशकों के लिये समान रूप से एक सतत् नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के प्रयासों को दर्शाता है।

Committe

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-**
   1. व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किये जाने वाले अधिकार बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं।
   2. भारतीय पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
   3. बौद्धिक संपदा अधिकारों में भौगोलिक संकेतकों को शामिल नहीं किया जाता है।
   4. अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक-2019 में पिछले वर्ष की तुलना में भारतीय रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1
   (b) 1 और 2
   (c) 2, 3 और 4
   (d) 1, 2, 3 और 4

1. **Consider the following statements-**
   1. The rights granted to individuals in the context of their intellectual creation are called intellectual property rights.
   2. Headquarters of the Indian Patent Office is located at New Delhi.
   3. Geographical Indicators are not included in intellectual property rights.
   4. International intellectual property index-2019 has seen a decline in Indian rankings compared to last year.

   Which of the above is/are the statement true?

   (a) only 1
   (b) 1 and 2
   (c) 2, 3 and 4
   (d) 1, 2, 3 and 4

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः-1 भारतीय किसानों द्वारा पारंपरिक देशी बीजों के उपयोग के बजाय मालिकाना किस्मों के बीजों के इस्तेमाल के पीछे कौन-कौन से कारण उत्तरदायी हैं? (250 शब्द)

Q. What are the reasons behind the use of seeds of proprietary varieties rather than the use of traditional Indian seeds by Indian farmers? (250 Words)

प्रश्नः-2 हाल ही के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय किसानों के मध्य बीजों के पेटेंट से संबंधित विवाद सामने आये हैं। क्या भारत के बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित नियम उपर्युक्त चुनौती का सामना करने में समक्ष नहीं हैं? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

Q. In recent years, disputes related to the patent of seeds between international companies and Indian farmers have surfaced. Is the rules related to intellectual property rights of India are not able to tackle the above challenge? Critically Analyse. (250 Words)

नोट : 8 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।